न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2016/00081 (232/2016) 223 आरटीएक्ट

रोशनलाल पुत्र श्री नियामत राय जाति अराड़ा निवासी 3 जी 15, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
–अपीलाण्ट

बनाम

1. देशराज पुत्र श्री नियामत राय जाति अराड़ा निवासी चक 18 एस.पी.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. प्रवीण रानी पत्नी श्री राजेन्द्र पंत्री श्री नियामत राय जाति अरोड़ा निवासी 72 एल.बलॉक, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2016 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा प्र0स0 133/2014 बअनवानी देशराज बनाम रोशनलाल आदि

श्री मोहन मुन्जाल अधिवकता अपीलाण्ट

श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

श्री रविन्द्र भोभिया अधिवक्ता रेस्पा0 सं0 3

निर्णय दिनांकः– 26.11.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत खाता विभाजन का एक वाद पेश किया। वाद पत्र में चक 15 एसपीडी के खाता संख्या 20/13 की 6.198 है. भूमि विरास्तन सांझा खाता की भूमि होने का कथन किया एवं कथन किया कि वादी के पिता की मृत्यु के बाद उनके कुल आठ वारीसान में से पांच वारीसान ने अपने हक हिस्सा व घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि का हक त्याग मिन वादी के पक्ष में कर दिया है इस प्रकार वादी ने अपना 6/8 हक हिस्सा बताते हुए खाता विभाजन करवाकर प्रतिवादीगण से खाता अलग कायम [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया कि नियामत [illegible] के [illegible] वारिसान में से पांच वारिसान ने वादी के पक्ष में हक [illegible] कर दिया [illegible] होने से अस्वीकार है कानूनन किसी एक सह हिस्सेदार/वारिस द्वारा अपना हक त्याग नहीं किया जा सकता है। किसी एक सह सह खातेदार/वारिस द्वारा अपना हक त्याग शेष समस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

वारिसान/सह हिस्सेदारान के पक्ष में माना जावेगा। प्रतिवादी ने प्रश्नगत भूमि में अपना 1/3 हिस्सा के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने तथा अच्छी मंदी के लिहाज से तकसीम कर खाता अलग कर रकम राज अलग से कायम करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने वाद वादी स्वीकार किया प्रतिवाद पत्र प्रतिवादी साबित नहीं मानते हुए खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तनकी सं0 1 को साबित करने भार वादी पर था। जिसे साबित करने के लिए वादी ने साक्षी के रूप में केवल स्वयं को प्रस्तुत किया है। वादी की और से कथित घरू बंटवारा से सम्बन्धित को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। घरू बंटवारा के सम्बंध में वादी पीडब्ल्यू-1 ने जिरह में कथन किये हैं कि "नियामत राय जी के मृत्युपरान्त हम भाई-बहनों में कोई कृषि भूमि बाबत लिखित बंटवारा नहीं हुआ है। अज खुद कहा कि मौखिक रूप से पंचायती बंटवारा हुआ था। मैने जो मौखिक पंचायती बंटवारा बताया है वो जून 2012 में हुआ फिर कहा अप्रेल 2012 में हुआ था, तारीख मुझे याद नहीं है। यह सही है कि उक्त वर्णित घरू बंटवारा की तारीख महीना व सन् का वर्णन मेरे द्वारा दावा में नहीं किया हुआ है।" वादी की और से कोई पंचायती व्यक्ति को या अन्य किसी भाई-बहन को बतौर साक्षी प्रस्तुत नहीं किया हैं। वादी की ओर से अपनी अभिकथनों के समर्थन में कोई स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। इसके खण्डन में प्रतिवादी/अपीलाण्ट की ओर से स्वयं व राजेश कुमार को बतौर साक्षी प्रस्तुत किया है तथा कथित कोई घरू बंटवारा से विशिष्ट इनकारी की है। विचारण न्यायालय ने कथित घरेलू बंटवारे के संबंध में कति किसी दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने के आधार पर घरू बंटवारा साबित माना है जबकि स्वीकृत रूप से वादी की ओर से घरू बंटवारा के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य स्वतन्त्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं0 2 का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध कर विधिक गलती की है अपीलाण्ट ने अपने जवाबावा मय प्रतिदावा में विस्तृत कथन कर निवेदन किया है कि नियामतराय के पांच वारिसान ने हिस्सा तर्क कर दिया है [illegible] कानूनन किसी एक सह हिस्सेदार /वारिस द्वारा किसी विशिष्ट एक सह[illegible] पक्ष में हकत्याग नहीं कर सकता तथा इस कदर एक सह[illegible]र द्वारा किय[illegible] हक त्याग शेष समस्त हिस्सेदारान/वारिसान के पक्ष में [illegible] स्थिति के मद्देनजर प्रश्नगत समस्त कुल कृषि भूमि 6.198 है0 में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अपीलाण्ट सं0 1 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

रेस्पो0 सं0 2 का ब–हिस्सा बराबर अर्थात 1/3 हिस्सा प्रत्येक वाजिब है। जिसके संबंध में अपीलाण्ट ने न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादपत्र की दफा 4 में वर्णित प0 नं. 126/07 के किला नं. 4 ता 7, 11 ता 25 कुल 4.648 है0 वादी को धरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि है। दावा में सहवन से किला नं0 5 की 0.212 हैक्टर कृषि भूमि अंकित कर दी गई थी जो किला नं. 5 पूरा है तथा किला नं0 7 की 0.212 है0 भूमि है। विवादित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू खानदान की सहदायिक सम्पति है जिसका घरू बंटवारा हो चुका है तथा वादी वाद पत्र की दफा 4 के मुताबिक काबिज काश्त है जो वादी के व प्रतिवादी के साक्ष्य जिरह से भी साबित है, इसलिए अन्य साक्ष्य वादी द्वारा साबित घरू बंटवारा आवश्यक नहीं है। तनकी संख्या 1 में वादी ने अपने साक्ष्य तथा प्रतिवादी साक्ष्य की जिरह से अपने पक्ष में होना साबित किया है। साक्ष्य प्रतिवादी ने दौराने जिरह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि की समस्त सार सम्भाल व खर्चा वादी द्वारा ही किया गया है। वादी घरू बंटवारा के मुताबिक काबिज काश्त को रकबा की सार सम्भाल व रख रखाव पर खर्च को साबित करने में सफल रहा है इसलिए तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में साबित है। तनकी संख्या 2 के पक्ष में रेस्पाडेण्ट ने दस्तावरदारी प्रस्तुत की है जिनके आधार पर वादी का 6/8 हिस्सा साबित है तथा राजस्व रिकार्ड में भी वादी का 6/8 हिस्सा यानि 4.648 हैक्टर हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जिसका वादी खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा घरू बंटवारा होना साबित माना है। विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2014 (1) पेज 509, आरआरडी 1980 पेज 548, आरएलडब्ल्यू 2002 पेज 178, आरआरडी 1988 पेज 312, डीएनजे 2013 (1) पेज 358, आरबीजे 1998 पेज 29 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. तनकी नं0 1 यह थी की "आया वादी व प्रतिवादी के मध्य घरू बंटवारा हुआ जिससे वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा प्राप्त करने का वादी अधिकारी है–वादी

8. उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने अन्तर्गत भूमि पर अपने हिस्सा की विशेष किला व प0 नं0 भूमि पर कब्जा होना अंकित किया है। राजस्व रिकार्ड में यह भूमि वादी/रेस्पोडेण्ट के नाम 6/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। घरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

बंटवारा के सम्बंध में वादी पीडब्ल्यू-1 ने जिरह में कथन किये हैं कि "नियामत राय जी के मृत्युपरान्त हम भाई-बहनों में कोई कृषि भूमि बाबत लिखित बंटवारा नहीं हुआ है। अज खुद कहा कि मौखिक रूप से पंचायती बंटवारा हुआ था। मैंने जो मौखिक पंचायती बंटवारा बताया है वो जून 2012 में हुआ फिर कहा अप्रेल 2012 में हुआ था, तारीख मुझे याद नहीं है। यह सही है कि उक्त वर्णित घरू बंटवारा की तारीख महीना व सन् का वर्णन मेरे द्वारा दावा में नहीं किया हुआ है।" वादी की और से कोई पंचायती व्यक्ति को या अन्य किसी भाई-बहन को बतौर साक्षी प्रस्तुत नहीं किया हैं। विचारण न्यायालय ने घरेलू बंटवारे के संबंध में कथित किसी दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने के आधार पर घरू बंटवारा साबित माना है जबकि पत्रावली में घरू बंअवारा के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य स्वतन्त्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति मे इस तनकी का निर्णय अपीलाण्ट/प्रतिवादी के पक्ष में एवं रेस्पोडेण्ट/वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

9. तनकी नं0 2 यह थी कि "आया एक सह हिस्सेदार के द्वारा विशिष्ट एक हिस्सेदार के पक्ष में किया गया हक त्याग सभी सह हिस्सेदारान के पक्ष में समझा जावेगा तथा वर्णित दस्तबरदारी/हक तयाग के आधार पर विववादित भूमि 6.198 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1/2 बहिस्सा बराबर अर्थात 123 हिस्सा प्रत्येक की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार नियामतराय के पांच वारिसान श्री कृष्णलाल, श्री चिमनलाल, श्रीमति राजरानी, श्रीमति ताराशनी, श्रीमति आशारानी ने अपना हिस्सा तर्क किया है। दस्तबदारीयों की फोटो प्रतियाँ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। कानूनन किसी एक सह हिस्सेदार /वारिस द्वारा किसी विशिष्ट एक सहहिस्सेदार के पक्ष में हकत्याग नहीं कर सकता तथा इस कदर एक सह हिस्सेदार द्वारा किया गया हक त्याग शेष समस्त हिस्सेदारान/वारिसान के पक्ष में शुमार होगा। उक्त विधिक स्थिति के मद्देनजर प्रश्नगत समस्त कुल कृषि भूमि 6.198 है0 में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अपीलाण्ट सं0 1 व रेस्पो0 सं0 2 का ब-हिस्सा बराबर अर्थात 1/3 हिस्सा प्रत्येक वाजिब है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत [illegible] नहीं होते हैं। फलतः इस तनकी का निर्णय अपीलाण्ट/प्रतिवा[illegible] रेस्पोडेण्ट/वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण [illegible] की घरू बंटवारा होना साबित नहीं है तथा किसी भी सहखातेदार द्वारा अपना हक त्याग करने पर त्यागा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित अपील
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

गया हक हिस्सा कानूनी स्थिति अनुसार सभी सह खातेदारों के मध्य बहिस्सा बराबर जाता है किसी एक सहखातेदार को नहीं दिया जा सकता है। अपील अपीलाण्ट दोनों तनकियों का निर्णय अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखे जाने योग्य नहीं है फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2016 निरस्त किये जाते हैं एवं अपीलाण्ट रोशन लाल द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिदावा स्वीकार किया जाता है एवं चक 18 एस.पी.डी. ''बी''तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या 20/2013 के प0 नं0 126/07 (28) के किला नं. 1 से 25 की कुल 6.198 हैक्टर अनकमाण्ड कृषि भूमि में रोशनलाल पुत्र नियामतराय को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

12. निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Sd/-
26/XI/20
(करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner